समक्ष माननीय राजस्व मण्डल मध्य प्रदेश ग्वालियर कैम्प कोर्ट, जबलपुर

राजस्व निगरानी क्र. I/निगरानी/जबलपुर/भू.रा./2017/6104 /2017

श्री टी० सी० लखेरा
अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत
प्रस्तुत रीडर
13 NOV 2017
कार्यालय कमिश्नर

निगरानीकर्तागण

1. सदन पटेल आत्मज स्व. श्री रामलाल पटेल
2. मदन पटेल आत्मज स्व. श्री रामलाल पटेल

दोनों निवासी- ग्राम परछिया, तहसील शहपुरा भिटौनी, जिला जबलपुर

// विरूद्ध //

अनावेदकगण

1. रामदुलारी बेवा रामलाल पटैल
2. केशव प्रसाद आत्मज स्व. श्री रामलाल पटैल
3. हरीशरण आत्मज स्व. श्री रामलाल पटैल
4. शिवकुमार आत्मज स्व. श्री रामलाल पटैल
5. रामकुमार आत्मज स्व. श्री रामलाल पटैल

सभी निवासी- मौजा परछिया, तहसील शहपुरा जिला जबलपुर म.प्र.

6. म.प्र. शासन द्वारा जिलाध्यक्ष जबलपुर

राजस्व निगरानी अंतर्गत धारा 50 म.प्र. भू राजस्व संहिता

यह राजस्व निगरानी न्यायालय श्री अतिरिक्त कमिश्नर जबलपुर संभाग, जबलपुर के राजस्व अपील क्र. 474/बी-121/2010-2011 पक्षकार सदन पटैल व अन्य विरूद्ध रामदुलारी व अन्य में पारित आदेश दिनांक 26.9.2017 से दुखित होकर निम्नलिखित तथ्यों एवं आधारों पर प्रस्तुत की जा रही है :-

उपरोक्त राजस्व निगरानी न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी पाटन के राजस्व प्रकरण क्र. 486/बी-121/2009-2010 पक्षकार रामदुलारी वगैरह विरूद्ध म.प्र. शासन में पारित आदेश दिनांक 28.5.2010 से उत्पन्न हुई थी ।

निगरानी के तथ्य

1. यह कि आवेदकगण एवं अनावेदकगण क्र. 1 से 5 सभी स्व. श्री रामलाल के वारसान हैं । निगरानीकर्ता एवं अनावेदकगण के पिता स्व. श्री रामलाल पटैल की काश्तकारी भूमि मौजा परछिया प.ह.नं. 57 नं.बं. 235 खसरा नं. 18,

XXXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश – ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक – एक/निगरानी/जबलपुर/भू.रा./2017/6104 **जिला** – जबलपुर

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
02/01/18	प्रकरण का अवलोकन किया। यह निगरानी आयुक्त जबलपुर संभाग जबलपुर के प्रकरण क्रमांक 474/बी–121/2010–11 में पारित आदेश दिनांक 26.09.2017 के विरुद्ध म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जाएगा) की धारा 50 के तहत प्रस्तुत की गई है। 2/ आवेदक अधिवक्ता द्वारा ग्राह्यता के बिन्दु पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया एवं प्रकरण का अवलोकन किया। प्रकरण के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि यह प्रकरण सरबराकार की मृत्यु उपरांत नया सरबराकार नियुक्त करने के संबंध में है। प्रकरण में सरबराकार की मृत्यु के उपरांत उसकी पत्नी को नया सरबराकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नियुक्त किया गया है, जिसमें कोई त्रुटि नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय का यह निष्कर्ष भी उचित है कि सभी वारिसानों को सरबराकर बनाना उचित नहीं है इससे प्रबंधन व्यवस्था संपादन नहीं होगी। प्रकरण की परिस्थितियों को देखते हुए इस प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय का जो आदेश है उसमें प्रथम दृष्टया हस्तक्षेप का कोई आधार नहीं है। परिणामतः यह निगरानी अग्राह्य की जाती है। प्रशासकीय सदस्य	